

* ई-टेंडर सम्बन्धी विज्ञापित *

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन, आबकारी अनुभाग के शासनादेश संख्या-72/2018/2784ई-2/तेरह-2018-46/2017 टी0सी-दिनांक-10.08.2018 एवं कार्यालय आबकारी आयुक्त, उप्र0 इलाहाबाद के पत्रसं0-31934-32008/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2018-19 दिनांक इलाहाबाद 10.08.2018 में दिये गये निर्देशानुसार जनपद सीतापुर में अव्यवस्थित 09 देशी शराब की फुटकर दुकानों, जिनका छठे चरण तक व्यवस्थापन नहीं हो पाया है, का व 2018-19 की शेष अवधि हेतु सातवें चरण का व्यवस्थापन दिनांक 13.08.2018 के मध्य ई-टेंडर/आफर के माध्यम से दुकानवार किया जाना है। तत्कम में सातवें चरण ई-टेंडर/आफर हेतु निम्नवत् दुकानों पर निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्रम सं०	दुकान का नाम	दुकान की प्रास्थिति	दुकान हेतु निर्धारित वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस व धरोहर धनराशि (रु० में)					वांछित हैसियत
			वर्ष 2018-19 के प्रथम चरण हेतु निर्धारित न्यूनतम वार्षिक एम0जी0क्यू0 (ब0ली0 में) 36 प्रतिशत वी/ वी के दर्म में	7वें चरण में वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित वार्षिक एम0जी0क्यू0 (वर्ष 2018-19 के प्रथम चरण के व्यवस्थापन हेतु निर्धारित वार्षिक एम0जी0क्यू0 का 50 प्रतिशत) (ब0ली0 में) 36 प्रतिशत वी/ वी के दर्म में	निर्धारित वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस (रु० में)	निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस (रु० में)	निर्धारित धरोहर धनराशि (रु० में)	
1	2	3	4	5	5	6	7	8
1	शाहजहांपुर चुगी	न0पा0	59400	29700	831600	6593400	83160	1237500
2	लक्ष्मननगर (हरगांव)	न0पा0	44460	22230	622440	4935060	62244	926250
3	बटसगंज निकट कैथीपुल	न0पा0	24840	12420	347760	2757240	34776	517500
4	नेरी (एन0एच0 24 से 220 मी0दूर)	ग्रामीण	12960	6480	181440	1438560	18144	270000
5	मूडाडुसा (कटौली से स्थानान्तरित)	ग्रामीण	10260	5130	143640	1138860	14364	213750
6	निमचैना	ग्रामीण	7128	3564	99792	791208	9979	148500
7	जयरामपुर	ग्रामीण	7128	3564	99792	791208	9979	148500
8	मुडियाकैल	ग्रामीण	8856	4428	123984	983016	12398	184500
9	बनियामड	ग्रामीण	8100	4050	113400	899100	11340	168750
	योग-		183132	91566	2563848	20327652	256384	

सातवें चरण में उपरोक्त दुकानों का व्यवस्थापन ई-टेंडर प्रक्रिया में प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ देशी शराब दुकान हेतु रु०-15000/- प्रोसेसिंग शुल्क आवेदन प्रक्रिया के रूप में देय होगा। इस पर 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0/वैट भी नियमानुसार देय होगा। प्रोसेसिंग फीस एवं जी0एस0टी0 की निर्धारित धनराशि आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से जिला आबकारी अधिकारी, लखनऊ (JILA ABKARI ADHIKARI, LUCKNOW) के पंजाब नेशनल बैंक, विपुल खण्ड लखनऊ स्थित खाता संख्या-4483002100004497 में जमा करना होगा। पंजाब नेशनल बैंक, विपुल खण्ड, लखनऊ शाखा का आई0एफ0एस0सी0 कोड PUNB0448300 है। आवेदन पत्र में भुगतान से सम्बन्धित यू0टी0आर0 नम्बर भरा जायेगा। देशी शराब की दुकान हेतु सम्बन्धित दुकान के कुल न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में निहित बेसिक लाइसेंस फीस के 10 प्रतिशत के बराबर की धरोहर धनराशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार की जायेगी। यह बैंक ड्राफ्ट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एवं जिला आबकारी अधिकारी सीतापुर के पक्ष में देय होना चाहिये।

- प्रत्येक आवेदक के आवेदन पत्र प्रोसेसिंग फीस एवं जी0एस0टी0 की निर्धारित धनराशि आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 द्वारा किये गये भुगतान की बैंक रसीद निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र 10 रु० के नान ज्यूडीसियरी स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित, वांछित हैसियत प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित स्कैन कापी ई-टेंडर पोर्टल के टेक्निकल बिड सेक्शन में अपलोड करना आवेदक के लिये अनिवार्य है। नियमानुसार देय धरोहर धनराशि (देशी मदिरा दुकान की बेसिक लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत) के बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कापी ई-टेंडर पोर्टल के फाइनेन्सियल बिड सेक्शन में अपलोड की जायेगी।
- जनपद सीतापुर के कलेक्टर सभागार में ई-टेंडरिंग कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रक्रिया में सम्मिलित होने की इच्छुक जनता के साथ प्री-बिड मीटिंग दिनांक 14.08.2018 को अपराह्न 16:00 बजे आहूत की गयी है।
- ऑनलाइन ई-टेंडरिंग आवेदन हेतु कार्यक्रम निम्नवत् है :-

1	Tender publishing date	13-08-2018 at 15:30
2	Document download start date	13-08-2018 at 15:30
3	Document download end date	20-08-2018 at 17:00
4	Pre bid meeting date	14-08-2018 at 16:00
5	Bid submission start date	13-08-2018 at 15:30
6	Bid submission closing date	20-08-2018 at 17:00
7	Technical bid opening date	21-08-2018 at 10:00
8	Financial bid opening date	21-08-2018 at 15:00
9	The place of bid opening	Collectorate Meeting Hall, Sitapur.
10	Tender inviting officer	Collector, Sitapur.

- आवेदन/व्यवस्थापन से सम्बन्धित प्रक्रिया वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर सम्पादित की जायेगी तथा समस्त मदिरा दुकानों हेतु उक्त वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ऑफर/आवेदन किया जा सकेगा। प्रत्येक आवेदक/ऑफरदाता को DIGITAL SIGNATURE CERTIFICATE (DSC) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी एजेन्सी से अनिवार्य रूप से तैयार करानी होगी तथा www.etender.up.nic.in पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। तभी वह मदिरा की दुकानों हेतु आवेदन कर सकेगा। मदिरा की दुकान के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण दुकानों के वार्षिक एम0जी0क्यू0/लाइसेंस फीस सहित आबकारी विभाग की वेबसाइट www.upexcise.in तथा जनपद सीतापुर की वेबसाइट www.sitapur.nic.in पर भी उपलब्ध है।
- ई-टेंडर/ऑफर से सम्बन्धित प्रत्येक दुकान का अलग अलग टेंडर अपलोड किया जायेगा। प्रत्येक दुकान के साथ आन-लाइन निविदा सूचना भी अपलोड की जायेगी। हैसियत प्रमाण पत्र आवेदक के प्रस्तावित वार्षिक एम0जी0क्यू0 के (एम0जी0क्यू0)X250/6 गुणा होगी।
- आन-लाइन बिड सम्मिलन से सम्बन्धित दिग्दर्शिका आवेदकों की सुविधा के लिये आबकारी विभाग की वेबसाइट www.upexcise.in पर अपलोड कर दी गयी है।
- ऐसे सभी आवेदक/ऑफरदाता, जिन्हें जनपद सीतापुर में आबकारी नीति 2018-19 के अनुसार 02 दुकानें पूर्व में अर्थात् वर्ष 2018-19 में छठे चरण तक, आवंटित हो चुकी है, वह इस प्रक्रिया में अर्ह नहीं होंगे। उल्लेखनीय है कि आवेदक को टेक्निकल बिड के प्रारूप-1 में पूर्व में आवंटित दुकानों का विवरण देना अनिवार्य होगा। शेष नियम व शर्तें यथावत रहेंगी। इसके अतिरिक्त अन्य अधिक जानकारी के लिये जिला आबकारी अधिकारी, सीतापुर व सम्बन्धित क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों के मोबाइल नम्बर 9454465635, 9454466288, 9454466290, 9454466293 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

जिला आबकारी अधिकारी,
सीतापुर।

कलेक्टर/लाइसेन्स प्राधिकारी,
सीतापुर।

सम्पादक,
दैनिक समाचार पत्र,

दैनिक समाचार पत्र, विजयनगर, पारसपुर।

अनुरोध है कि उपरोक्त आवश्यक सूचना निर्धारित न्यूनतम सरकारी दर पर स्थानीय पृष्ठ पर दिनांक 11.08.2018 को प्रकाशित होने वाले अंक में प्रकाशित कर विल भुगतान हेतु पेपर कटिंग के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें।

जिला सूचना एवं विज्ञापन अधिकारी,
सीतापुर।

जिला आबकारी अधिकारी,
सीतापुर।

कृपया उपरोक्त विज्ञापित जनपद की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।

DE-05/11/2018